(8)

पत्रांक / 536 / धारा–57 / 09–10 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0क0 / देहरादून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(धारा–57 अनुभाग)
दिनांक :: देहरादून :: 11 मई–2009

सर्वश्री सागर ट्रेडिंग कम्पनी,
आवास विकास, काशीपुर,
(उधमसिंह नगर)।

आदेश मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत ।

सर्वश्री सागर ट्रेडिंग कम्पनी, आवास विकास, काशीपुर (उधमसिंह नगर) द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा--57 के अन्तर्गत दिनांक 20–01–2009 को एक प्रार्थना पत्र देते हुए Empty Glass bottles पर कर की दर के सम्बंध में प्रश्न पूछा गया है।

2– विभागीय आख्या ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर काशीपुर सम्भाग, काशीपुर द्वारा प्रेषित करते हुये Empty Glass bottles को अवर्गीकृत वस्तुओं की श्रेणी में रखते हुये इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देयता लागू होने का उल्लेख किया गया है।

3– फर्म की ओर से फर्म अधिवक्ता, श्री एस0के0शर्मा उपस्थित हुये। उनके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची 2ख के क्रमांक–9 पर अंकित प्रविष्टि के तहत प्रश्नगत वस्तु को आच्छादित मानने का उल्लेख किया गया है।

4– मेरे द्वारा फर्म अधिवक्ता तथा विभागीय मत पर विचार किया गया। Empty Glass bottles के सम्बन्ध में पूर्व में ही उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के तहत सर्वश्री आकाश ट्रेडिंग कम्पनी, बिहाड सिटी हॉस्पीटल, निकट रेलवे स्टेशन, हल्द्वानी के प्रार्थना पत्र पर इस कार्यालय के आदेश संख्या–3054 / वैट धारा–57 / 08–09 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0क0 / देहरादून दिनांक 15–12–08 द्वारा स्पष्ट किया गया कि Empty Glass bottles उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–4 की उपधारा 2(b)(i)(a), 2(b)(i)(b) तथा 2(b)(i)(c) में उल्लिखित वस्तुओं की सूची से आच्छादित नहीं है। अतः प्रश्नगत वस्तु पर धारा 4(2)(b)(i)(d) में वर्णित व्यवस्थान्तर्गत (R.N.R.) 12.5 प्रतिशत की दर से ब्रिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर करारोपण होगा। इस प्रकार उक्त प्रश्न का उत्तर पूर्व में ही दिया जा चुका है। आदेश की प्रति सम्बन्धित व्यापारी तथा कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित की जाये।

12.5.09

(वी0के0सक्सेना)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड।

–2–

Attested
Sanjeev Kumar Sharma
Advocate